रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218714
CG-DL-E-17032020-218714

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941**
No.117] **NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

फा. सं. अभातशिप/पी एण्ड एपी/ओ.डी.एल/2020.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(ख)(छ)(झ)(ञ)(ड)(ढ) तथा (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) द्वारा बनाए गए मानित विश्वविद्यालय–संस्थाओं के लिए अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है :–

1. क) इन दिशानिर्देशों को मानित विश्वविद्यालय–संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, 2020 कहा जाएगा।

   ख) ये दिशानिर्देश इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, 2019 (इसके पश्चात् इन्हें उक्त दिशानिर्देश कहा जाएगा) के विद्यमान खण्ड–3.1, अनुबंध IX के दिशानिर्देशों में नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधनों एवं नया खण्ड–3.1.8 को क्रमशः शामिल किया जाता है तथा इन्हें तद्नुसार पढ़ा जाएगाः

अभातशिप दिशानिर्देशों, 2019 के खण्डों में संशोधन इस प्रकार हैं :

विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
3.1: प्रत्येक संस्था जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2017–18 तक प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसरण में प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और यात्रा एवं पर्यटन में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति (ओडीएल) माध्यम से कार्यक्रम संचालित करती हैं अथवा जिनके पास 1,000 अथवा समकक्ष के स्केल पर न्यूनतम 700 अंकों के साथ एनबीए प्रत्यायन है और वे इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना के तत्काल पश्चात् मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति रीति से कार्यक्रम संचालित करने का आशय रखती हैं, मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर अभातशिप द्वारा यथा अधिसूचित प्ररूप और रीति से अभातशिप को आवेदन करेंगी :–	**3.1:** ऐसी संस्थाएं, जिन्होनें अपने अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे किए हों जिसके दौरान इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2017–18 तक प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसरण में प्रबंधन और सबंद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा यात्रा और पर्यटन में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कार्यक्रम संचालित किए हों और/अथवा वह इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना के तत्काल पश्चात् शैक्षणिक सत्र से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड में कार्यक्रम संचालित करने का आशय रखती हों, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति किए जाने पर अभातशिप द्वारा अधिसूचित रूप और रीति से अभातशिप को आवेदन करेंगी, अर्थात् :– **3.1.8** संस्था इस आशय का वचन–पत्र प्रस्तुत करेगी कि वह शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019–जून 2020 की समाप्ति से पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.) का 4 पॉइंट स्केल पर 3.26 स्कोर अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एन.बी.ए.) का 1000 के पैमाने पर कम से कम 700 अंक अथवा इसके समकक्ष प्राप्त करेगा। जिसके प्राप्त न कर पाने की स्थिति में, संस्था को अभातशिप मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।
अनुबंध **IX:** **5.** शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में जनशक्ति और अन्य प्रकार की सहायता मुहैया करवाना : **5.1**. चार (4) क्रेडिट के प्रत्येक सिद्धान्त (थ्योरी) पाठ्यक्रम के लिए अर्हक परामर्शदाताओं की संख्या : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के लिए 1 से 2 तक ; ***5.2*** मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) क कार्यक्रम के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता : मान्यता प्राप्त संस्था की एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो उस संस्था में परंपरागत विधा में कम से कम 5 वर्ष की अवधि का एक समान पाठ्यक्रम चला रही हो।	अनुबंध **IX:** **5.** शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में जनशक्ति और अन्य प्रकार की सहायता मुहैया करवाना : ***5.1*** (क) प्रत्येक सिद्धान्त (थ्योरी) पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या के लिए अर्हक परामर्शदाताओं की संख्या 1:100 (ख) दो (2) क्रेडिट के प्रत्येक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के लिए योग्य पर्यवेक्षकों की संख्याः 1 अथवा अधिक ***5.2*** मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता : मान्यता प्राप्त संस्था की एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो उस संस्था में परंपरागत विधा में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का एक समान पाठ्यक्रम चला रही हो।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन –III/4/असा./501/19]

नोट : मुख्य दिशानिर्देश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड IV दिनांक 10 अक्तूबर 2019 को फाईल संख्याः अभातशिप/पी. एण्ड ए.पी./ओडीएल/2019 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2020

F. No. AICTE/P&AP/ODL/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 (b) (g) (i) (j) (m) (n) and (o) of All India Council for Technical Education Act, 1987, the AICTE hereby makes the following guidelines further to amend the AICTE (Open and Distance Learning Education) Guidelines for Institutions- Deemed to be Universities, 2019, namely:-

1. a) These guidelines may be called the All India Council for Technical Education (Open and Distance Learning Education) Guidelines for Institutions-Deemed to be Universities, 2020.

   b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Council for Technical Education (Open and Distance Learning Education) Guidelines, 2019 (herein after referred to as the said guidelines), the following amendments have been incorporated in clause 3.1, Annexure IX respectively of the Guidelines and inserted new Clause 3.1.8 in the Guidelines as per the table given and shall be read accordingly.

Amendment in the Clauses of AICTE Guidelines, 2019:

Existing Clause	**Amended Clause**
3.1: Every Institution offering a programme in Open and Distance Learning (ODL) mode in Management and allied areas, Computer Applications and Travel & Tourism in pursuance of an approval granted to it till the year 2017-18 for the purpose by the University Grants Commission (UGC) or having NBA accreditation with at least 700 points on a scale of 1,000 or equivalent and intending to offer a programme in ODL mode from academic session immediately after the notifications of these Guidelines shall, for grant of recognition, make an application to the AICTE in such form and manner as notified by the AICTE on fulfilment of the following conditions, namely:-	**3.1:** The Institutions that have completed five years of existence, offering a programme in Open and Distance Learning (ODL) mode in Management and allied areas, Computer Applications and Travel & Tourism in pursuance of an approval granted to it till the year 2017-18 for the purpose by the University Grants Commission (UGC) and/or intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode from the academic session immediately after the notification of these guidelines shall, for grant of recognition, make an application to the AICTE in such form and manner as notified by the AICTE on fulfilment of the following conditions, namely:- **3.1.8** The Institution shall submit an undertaking to the effect that it will attain a National Assessment and Accreditation Council (NAAC) score of 3.26 on a 4 point scale or NBA accreditation with at least 700 points on a scale of 1,000 or equivalent before the end of academic session July 2019-June 2020, failing which the AICTE shall not accord any approval to the ODL Programme to the Institution.
Annexure IX: **5. Deployment of manpower and other support at LSCs:** **5.1**. Number of qualified counsellors per theory course of 4 credits: 1 to 2 for every 500 students. ***5.3*** . The laboratory needed for the ODL programme on offer should be in a recognised Institution and running a similar course in conventional mode for a period of not less than **5** years.	**Annexure IX:** **5. Deployment of manpower and other support at LSCs:** ***5.1*** (a) Number of qualified counsellors to number of students per theory course: 1: 100 (b) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more ***5.2*** The laboratory needed for the ODL programme on offer should be in a recognised Institution and running a similar course in conventional mode for a period of not less than **3** years.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./501/19]

Note: The principal Guidelines were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III—Section IV, dated the 10th October, 2019 *vide* F. No. AICTE/P&AP/ODL/2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.17 21:58:46 +05'30'